आवश्यक / महत्वपूर्ण

कृषि निदेशालय,उत्तर प्रदेश
(पेंशन अनुभाग)

पत्रांक–पेन्शन– /सेवापुस्तिका सत्यापन/दिनांक लखनऊ 11 फरवरी 2020

समस्त अनुभागाध्यक्ष,
कृषि निदेशालय, उ0प्र0।

कृपया कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप सं0 मु0प्र0(1)/3812 दिनांक 29–01–2020 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा निदेशालय लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की वर्ष 2020 में सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित सूची विज्ञापित की गई है।

उपरोक्त संदर्भ में स्मरण कराना है कि शासन के पत्र सं0 सा–3–1273/दस–2013 दि0 29.10.2013 द्वारा **सेवानिवृत्ति की तिथि से 2 वर्ष पूर्व वेतन निर्धारण आदि का परीक्षण वित्त नियंत्रक से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।** उल्लेखनीय है कि मुख्यालय प्रशासन अनुभाग की सूची में इंगित अधिकांश कार्मिकों की सेवा पुस्तिका अभी तक परीक्षण हेतु पेंशन अनुभाग को उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। आप यह भी अवगत हैं कि कार्मिक की सेवानिवृत्ति के पश्चात त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप हुए अधिक भुगतान की वसूली मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में नही की जा सकती।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व उनकी सेवा पुस्तिका परीक्षण हेतु पेंशन अनुभाग को अवश्य उपलब्ध करायें ताकि वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण होने की दशा में वसूली सम्बन्धी कार्यवाही सेवानिवृत्ति से पूर्व की जा सके।

उपरोक्त क्रम में लिपिक संवर्ग के अतिरिक्त अन्य संवर्ग के कार्मिकों की भी सेवानिवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेवा पुस्तिका का परीक्षण समय से कराया जाना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र राय)
वित्त नियन्त्रक
कृषि निदेशालय, उ0प्र0।

पत्रांक–पेन्शन– 2896 /तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर कृषि निदेशक(प्रशासन) कृषि भवन, लखनऊ।
2. उप कृषि निदेशक(मुख्यालय) कृषि भवन, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक(समन्वय एंव कम्पयूटर)को वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित कराने हेतु।

(वित्त नियन्त्रक)

सहायक निदेशक
(समन्वय ... कम्प्यूटर) 11/02